रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1975/भाद्र 17, 1897

No. 251] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1975/BHADRA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September 1975

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Third Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1957, after clause 3, the following clause shall be inserted, namely:—

"3A. *Manufacturers and dealers to display stock and price list of fertilisers.*—Every Manufacturer or dealer who sells or offers to sell any fertiliser shall prominantly display in his place of business—

(a) the quantities of stock of different fertilisers held by him, on daily basis;

(b) a list of prices or rates of such fertilisers fixed under clause 3 and for the time being in force."

[No. 10-16/75-STU]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 486(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में, खण्ड 3 के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"3क. **विनिर्माताओं और व्यवहारियों द्वारा उर्वरकों का स्टाक और कीमत-सूची का प्रदर्शित किया जाना.**—प्रत्येक विनिर्माता या व्यवहारी जो कोई उर्वरक बेचता है या बेचने की प्रस्थापना करता है, अपने कारबार के स्थान पर निम्नलिखित का प्रमुख रूप से प्रदर्शन करेगा :—

(क) उसके द्वारा धृत विभिन्न उर्वरकों के स्टाक की मात्राएं, दैनिक आधार पर;

(ख) खण्ड 3 के अधीन नियत और तत्समय प्रवृत्त, ऐसे उर्वरकों की कीमतों या दरों की सूची।"

[सं० 10-16/75-एस० टी० यू०]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975